न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 872/2024

अनवान : –

1. सावत्री पत्नी गोरूराम जाति नाई निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री सुनील घिंटाला अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः– 25/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 148/42 की कुल 1.5496 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम सावित्री देवी पत्नी गोरीशंकर दर्ज हो गया है जो की सहवन से गलत दर्ज हो गया है। वादीया का वास्तविक व सही नाम सावत्री पत्नी गोरूराम है जो की वादीया के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में अंकित है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम सावित्री देवी पत्नी गोरीशंकर दर्ज हो गया है जो की सहवन से गलत दर्ज हो गया है। वादीया का वास्तविक व सही नाम सावत्री पत्नी गोरूराम है जो की वादीया के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में अंकित है। राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम गलत दर्ज होने से वादीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादीया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सावित्री देवी पत्नी गोरीशंकर के स्थान पर सावत्री पत्नी गोरूराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 148/42 की कुल 1.5496 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज है, में वादीया का नाम सावित्री देवी पत्नी गोरीशंकर दर्ज है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादीया का नाम सावित्री पत्नी गोरूराम दर्ज है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:00:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 148/42 की कुल 1.5496 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज है, में वादीया का नाम सावित्री देवी पत्नी गोरीशकर के स्थान पर सावत्री पत्नी गोरूराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सावित्री देवी पत्नी गोरीशंकर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम सावित्री देवी पत्नी गोरीशंकर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:00:20 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 872 / 2024
अनवान : –

1. सावत्री पत्नी गोरूराम जाति नाई निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 872 सन 2024 निर्णय दिनांक –25/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 148 / 42 की कुल 1.5496 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज है, में वादीया का नाम सावित्री देवी पत्नी गोरीशकर के स्थान पर सावत्री पत्नी गोरूराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सावित्री देवी पत्नी गोरीशंकर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम सावित्री देवी पत्नी गोरीशंकर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 25/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:00:20 IST
Reason: SelfAttested